



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.11.2024

विषय:- नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण मे वांछित अभियुक्त अरूण कुमार मिश्रा थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-0352/2024 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5-एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त अरूण कुमार मिश्रा पुत्र अवध बिहारी मिश्रा निवासी चौबेपुर थाना चौबेपुर वाराणसी को दिनांक-25.11.2024 को समय करीब 23.45 बजे मिल्कीचक थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया । उक्त सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक 25.11.2024 को वादिनी मुकदमा ने प्रतिवादी अरूण कुमार मिश्रा द्वारा वादिनी मुकदमा की 05 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-0352/2024 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5-एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 विवेक कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरूण कुमार मिश्रा पुत्र अवध बिहारी मिश्रा निवासी चौबेपुर थाना चौबेपुर वाराणसी, उम्र 18 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- मिल्कीचक थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से, दिनांक-25.11.2024 को समय करीब 23.45 बजे ।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0352/2024 धारा 65(2) बी0एन0एस0 व 5-एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- प्र0नि0 विवेक कुमार शुक्ला थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2- का0 अभिषेक पटेल थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3- का0 भूपेन्द्र कुमार पाल थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नेट वाराणसी ।